निर्वाचन अति आवश्यक

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला निर्वाचन कार्मिक कोषांग)

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर वैशाली जिला अन्तर्गत मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ जाने के कारण काफी संख्या में मतदान कर्मियों की आवश्यकता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि प्रथम नियुक्ति पत्र निर्गत होते हीं मतदान पदाधिकारियों के द्वारा भिन्न–भिन्न बीमारियों का उल्लेख करते हुए मतदान कार्य से मुक्त करने हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया जाता है। आवेदन पत्र समर्पित करने वाले मतदान पदाधिकारियों को स्वास्थ्य का परीक्षण की आवश्यकता को देखते हुए असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली की अध्यक्षता में दिनांक–13.10.2020 एवं 14.10.2020 को मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जो जिला परिषद, ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली के सभाकक्ष में 10.30 AM से 5.00 PM तक कार्यरत रहेगा।

इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंधित मतदान कर्मी अपने आवेदन पत्र सभी साक्ष्यो के साथ उपरोक्त निर्धारित तिथि को ससमय मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे। भ्रामक एवं गलत साक्ष्य पाये जाने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगें। उक्त अवधि के बाद किसी प्रकार के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ह०/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, वैशाली।

ज्ञापांक–37/जि0नि0का0को0 दिनांक–4/10/2020

प्रतिलिपि – जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निर्धारित समय से पूर्व तीन दैनिक समाचार पत्रों में इस विज्ञप्ति को प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि – सभी अंचल अधिकारी, वैशाली जिला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि प्रेस विज्ञप्ति को सूचना पट्ट पर लगाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर/महुआ/महनार को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि प्रेस विज्ञप्ति को सूचना पट्ट पर लगाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि – जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, वैशाली।